प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 08.02.2024

द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 के लिये कुल ₹ 30,265.15 करोड़ का प्रावधान, राजस्व मद में ₹ 10,173.06 करोड़ तथा पूंजीगत मद में ₹ 20,092.09 करोड़ का प्रावधान

- वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की बजट पुस्तिका भौतिक एवं ई-बजट के रूप में प्रस्तुत
- वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत म.प्र. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि योजना हेतु ₹ 106 करोड़ तथा म.प्र. नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु ₹ 47 करोड़ का प्रावधान
- खनिज साधन विभाग अंतर्गत जिला माइनिंग फण्ड योजना हेतु ₹ 100 करोड़ का प्रावधान
- ऊर्जा विभाग अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के तहत अंशपूंजी का प्रदाय योजना हेतु ₹ 13,365 करोड़, म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण ₹ 181 करोड़, अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹ 579 करोड़ के प्रावधान
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिये ₹ 200 करोड़, आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना के लिये ₹ 220 करोड़ तथा मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस नवीन योजना हेतु ₹ 2.50 करोड़ का प्रावधान
- लोक निर्माण विभाग अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि योजना हेतु ₹ 450 करोड़, मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु ₹ 400 करोड़, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन योजना हेतु ₹ 525 करोड़, भू-अर्जन हेतु मुआवजा के लिये ₹ 400 करोड़, वृहद पुलों का निर्माण हेतु ₹ 150 करोड़, म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण योजना हेतु ₹ 250 करोड़ तथा नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹ 200 करोड़ का प्रावधान
- स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के लिये ₹ 350 करोड़ का प्रावधान
- पंचायत विभाग अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹ 2,135 करोड़ का प्रावधान
- जन संपर्क विभाग अंतर्गत इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार के लिये ₹ 120 करोड़, प्रिंट मीडिया हेतु ₹ 120 करोड़, विशेष अवसरों पर प्रचार हेतु ₹ 70 करोड़ तथा कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन हेतु ₹ 14 करोड़ के प्रावधान
- जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत पी. एम. जनमन बहुउद्देशीय केन्द्र निर्माण योजना ₹ 26 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹ 200 करोड़ तथा दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान
- नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ₹ 807 करोड़ तथा विद्युत देयकों के भुगतान के लिये ₹ 62 करोड़ का प्रावधान
- जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ₹ 420 करोड़ तथा विद्युत देयकों के भुगतान के लिये ₹ 50 करोड़ का प्रावधान

- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान हेतु ₹ 150 करोड़ का प्रावधान
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन योजना के लिये ₹ 2,616 करोड़ का प्रावधान
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु ₹ 50 करोड़ तथा गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना हेतु ₹ 30 करोड़ का प्रावधान
- महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु ₹ 1648 करोड़, आंगनवाड़ी सेवायें (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के लिये ₹ 614 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु ₹ 760 करोड़, पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) योजना के लिये ₹ 128 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु ₹ 176 करोड़ तथा समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के लिये ₹ 70 करोड़ का प्रावधान
- चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु ₹ 362 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹ 119 करोड़, रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु ₹ 56 करोड़ तथा पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना हेतु ₹ 38 करोड़ के प्रावधान
- ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु ₹ 346 करोड़ तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना हेतु ₹ 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क) नवीन योजनाओं के लिये प्रतीक प्रावधान
- पर्यटन विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा नवीन योजना के लिये प्रतीक प्रावधान
- उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्लीलेन्स नवीन योजना हेतु प्रतीक प्रावधान